(10)

संख्याः–शिक्षा–एच(21)ए(1)पी.एस–16/2021–सामान्य निर्देश
शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर), हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला–171001 अप्रैल, 2023

सेवा में

समस्त निजी स्कूल प्रबन्धन/प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– Regarding mandatory Schools trips in the name of Picnic in Private Schools.

उपरोक्त विषय पर दिनांक 31.03.2023 को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि निजी स्कूलों द्वारा पिकनिक–टूअर के नाम पर मनमानी फीस उगाही जा रही है। जिससे छात्रों व अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोंझ पड रहा है। अतः समस्त निजी स्कूल **प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों** को निर्देश दिये जाते है कि आप निम्निलिखत निर्देशो का कढाई से पालन करें।

1. निजी स्कूलों द्वारा School Tours & Trips के नाम पर बसूल की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समस्त स्कूलो को निर्देश दिये जाते है कि शैक्षणिक टूअर प्रोग्राम अभिभावकों/छात्रों की सहमति से बनाये जायें, टूअर प्रोग्राम के सन्दर्भ में एस डी एम को भी अवगत करवाया जाये तथा School Tours & Trips छात्रों के लिए अनिवार्य के बजाये स्वैच्छिक किया जाये व इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा (Safety & Security) का सर्वोपरि ध्यान रखा जाये।
2. स्कूलों में प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान अधिनियम, 1997 के अर्न्तगत निर्मित नियम 2003 के शुद्विपत्र दिनांक 10.06.2008 के **भाग–1 के अनुभाग 17** में निहित प्रावधान के अनुसार पी0टी0ए0 का गठन किया जाये **(जिसमें की माता–पिता मे से दो तिहाई सदस्य और अध्यापकों में से एक तिहाई सदस्य लिये जायेगें व पी0टी0ए0 अध्यक्ष अभिभावकों में से लिया जायेगा)**।
3. पाठशाला प्रबन्धन द्वारा प्रत्येक कक्षा में छात्रों से प्रवेश शुल्क न बसुला जाये। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियमन) अधिनियम 1997 के नियम 2003 के **भाग–1** के शुद्विपत्र दिनांक 10.06.2008 **के अनुभाग 16** में निहित प्रावधान के अनुसार स्कूल की फीस व निधियां शोषण करने वाली न हो कर शिक्षा के प्रसार में सहयोग देने वाली, कर्मचारीबृन्द को सदत्त किये जाने वाले वेतन अवसंरचना के विकास और छात्रों को दी जा रही सुविधाओं और कियाकलापों के अनुरूप होनी चाहिए ।
4. बिना उचित अनुमति के निजी स्कूलों द्वारा स्कूलों में किताबे, कापियॉ, बर्दी व जुते आदि न बेचें जाएं तथा न ही किसी चिन्हित दुकान से अभिभावकों को किताबे, कापियॉ, बर्दी व जुते आदि खरीदने पर बाध्य किया जाये।
5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार पाठशाला प्रबन्धन द्वारा छात्रों से भवन निधि, विकास निधि व अवसंरचना निधि (Building fund, Development fund & Infrastructure fund) न बसुली जाये।

उक्त सन्दर्भ में इस निदेशालय द्वारा पूर्व में भी समय–समय पर आपको अधिनियम,

IT Cell

1997 के कियान्वयन, पाठशाला में पी0टी0ए0 गठित करने, स्कूल परिसर में किताबें कापियॉ व बर्दी जुते आदि–आदि न बेचने तथा Tours & Trips छात्रों के लिए अनिवार्य के बजाये स्वैच्छिक करने के सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते रहें है। निजी स्कूल प्रबन्धकों द्वारा उपरोक्त निर्देशो का पालन न करने के सन्दर्भ में भविष्य में जिन स्कूलों के विरूद्व अधोहस्ताक्षरी को शिकायत प्राप्त होगी उन स्कूलों के विरूद्व **अधिनियम 1997 के अनुभाग 06** में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेंवार होगा।

शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश।
अप्रैल, 2023

पृष्ठांकन संख्याः सम् दिनांकः शिमला– 171001,
प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित हैः

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके कार्यालय पत्र संख्यां EDN-B-F(10)-2/2023 दिनांक 10.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त उप शिक्षा निदेशक को उक्त निर्देशो का पालन करने हेतु निजी स्कूलों को आगामी निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. अधीक्षक कम्पयूटर शाखा, शिक्षा निदेशालय को विभागिय बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षक नस्ति ।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि0प्र0
21 APR 2023

शिक्षा निदेशक उच्चतर
हिमाचल प्रदेश।